

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

104 -

आदेश

पटना, दिनांक 03 / 4 / 2018

संख्या-3/एल-2-1-8/95- 172(3) /स्वा०, डा० (मेजर) शशि भूषण प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मच्छहट्टा (अमौर), पूर्णिया, संप्रति-प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुर, सुपौल के दिनांक-12.03.1996 से 09.06.1997 तक के अविनियमित अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

(i)	दिनांक 12.03.1996 से 03.06.1997 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में ।
(ii)	दिनांक 04.06.1997 से 09.06.1997 तक	-	देय अवकाश के रूप में ।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

01C

ज्ञापांक 172(3)

12/3/18
(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।
पटना, दिनांक 03 / 4 / 2018

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय(प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/सिविल सर्जन, सुपौल/डा० (मेजर) शशि भूषण प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुर, सुपौल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 8 एवं 9, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

12/3/18
विशेष कार्य पदाधिकारी